

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- हरभान मीणा, आर.ए.एस
अपील सं० :-267 / 2017 / 223 आरटीए व 268 / 2017 / 223 आरटीए

1. पूनमदेवी धर्मपत्नि स्व० श्री लक्ष्मण कुमार जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. अंकिता नाबालिग पुत्री स्व० श्री लक्ष्मण कुमार जरिये कुदरतीवलिया व माता श्रीमति पूनमदेवी धर्मपत्नि स्व० श्री लक्ष्मण कुमार जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. दीपक नाबालिग पुत्र स्व० श्री लक्ष्मण कुमार जरिये कुदरतीवलिया व माता श्रीमति पूनमदेवी धर्मपत्नि स्व० श्री लक्ष्मण कुमार जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट / प्रतिवादीगण सं. 2 से 4

बनाम

1. राय सिंह पुत्र श्री अमरचन्द जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. भूप सिंह पुत्र श्री अमरचन्द, जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. कॉर्पोरेशन बैंक शाखा हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. एस०बी०बी०जे० शाखा नौरगदेसर, जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. भारतीय स्टेट बैंक (कृषि विकास) शाखा हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—रेस्पोंडेंट / प्रतिवादीगण

अपील विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.01.2017 व निर्णय दिनांक 08.05.2017 एवं अंतिम विभाजन डिक्री दिनांक 10.05.2017 न्यायालय सहायक

कलैक्टर हनुमानगढ़ राजस्व वाद संख्या 286 / 2016

उपस्थित :-

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांटस

श्री राजेन्द्र भुवाल अधिवक्ता रेस्पोंडेंट सं. 1

1. उपरोक्त दोनो अपीलें अपीलांट (अपील सं. 267/2017 अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.01.2017 तथा अपील संख्या 268/2017 निर्णय एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 10.05.2017) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। दोनो अपीलो मे सम्मान तथ्य एवं सम्मान पक्षकार एवं सम्मान आराजी भूमि होने के कारण दोनो अपीलो मे एक साथ निर्णय से निस्तारण किया जाकर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.05.2017 व अन्तिम डिक्री दिनांक 10.05.2017 को अपास्त किया जाकर दोनो पक्षो की सहमति से इसी अपील मे तहसीलदार हनुमानगढ़ को मौका पर कब्जा काशत के अनुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना कर विभाजन प्रस्ताव हेतु आदेश दिया गया। जिसकी पालना मे तहसीलदार हनुमानगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
2. उभय पक्ष की विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई।
3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा कथन किया किया तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट को कोई आपत्ति नही है। विभाजन प्रस्ताव आपसी सहमति के आधार पर तैयार किया गया है। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री किया जावें।
4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मे कोई आपत्ति जाहिर नही करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
5. पत्रावली का अवलोकन करने एवं प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के उपरांत उभय पक्ष की सहमति के आधार पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अपील का निस्तारण करते हुए दावा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।
6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि पूनमदेवी पत्नि लक्ष्मणकुमार, अंकिता पुत्री लक्ष्मणकुमार, दीपक पुत्र लक्ष्मणकुमार को चक 15 एनडीआर-बी के प.न. 148/342 मु.न. 22 कि.न. 1,2/0.506, 3/0.169, 4/0.169, 5/0.127, 10/0.031, 11/0.031 कुल 1.033 है0, चक 17 एनडीआर के प.न. 144/344 मु.न. 4 कि.न. 11/1/0.101, 12/1/0.101, 13/1/0.101, 18/0.127, 19/0.150, 20/0.149 कुल 0.729 है0, चक 14 एमडी के प.न. 137/331 मु.न. 31 कि.न. 11/0.253, 12/0.084, 17 ता 20/1.012 है0 कुल 1.349 है0 कुल तादादी 3.111 है0 रकबे खातेदार काशतकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी रायसिंह पुत्र अमरचंद को चक 15 एनडीआर-बी के प.न. 148/342 मु. न. 22 कि.न. 6/0.169, 7/0.169, 8/0.169, 11/0.200, 12/0.200, 13/0.127

कुल 1.034 है0, चक 17 एनडीआर के प.न. 144/344 मु.न. 4 कि.न. 21/0.100, 22/0.101, 23/0.086,, प.न. 144/345 मु.न. 11 कि.न. 1/3/0.144, 2/0.169, 3/0.130 कुल 0.730 है0, चक 18 एनडीआर के प.न. 141/340 मु.न. 48 कि.न. 4, 5/0.506, 6/0.181 कुल 0.687 है0, चक 14 एमडी के प.न. 137/331 मु.न. 31 कि. न. 13, 14/ 0.506, 12/0.169 है0 कुल 0.675 है0 कुल तादादी 3.126 है0 रकबा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी भूपसिंह पुत्र अमरचंद को चक 15 एनडीआर-बी के प.न. 148/342 मु.न. 22 कि.न. 3/0.084, 4/0.084, 5/0.063, 6/0.084, 7/0.084, 8/0.084, 11/0.222, 12/0.222, 19/0.053, 20/0.053, कुल 1.033 है0, चक 17 एनडीआर के प.न. 144/344 मु.न. 4 कि.न. 18/0.088, 19/0.103, 20/0.104, 21/0.153, 22/0.152, 23/0.129 कुल 0.729 है0, चक 18 एनडीआर के प.न. 141/340 मु.न. 48 कि.न. 6/0.072, 7/0.253, 14 से 16/0.759, 17/1 मे 0.063, 25/2/0.228 कुल 1.375 है0 कुल तादादी 3.138 है0 रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार ही खाते अलग अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.08.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बड़जलास हरभान मीणा आर०ए०एस०
अपील सं० :-267 / 2017 / 223 आरटीए व 268 / 2017 / 223 आरटीए

1. पूनमदेवी धर्मपत्नि स्व० श्री लक्ष्मण कुमार जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. अंकिता नाबालिग पुत्री स्व० श्री लक्ष्मण कुमार जरिये कुदरतीवलिया व माता श्रीमति पूनमदेवी धर्मपत्नि स्व० श्री लक्ष्मण कुमार जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. दीपक नाबालिग पुत्र स्व० श्री लक्ष्मण कुमार जरिये कुदरतीवलिया व माता श्रीमति पूनमदेवी धर्मपत्नि स्व० श्री लक्ष्मण कुमार जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---अपीलाण्ट / प्रतिवादीगण सं. 2 से 4

बनाम

1. राय सिंह पुत्र श्री अमरचन्द जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---रेस्पो० / वादी

2. भूप सिंह पुत्र श्री अमरचन्द, जाति जाट (बेनीवाल) निवासी मटोरियावाली ढाणी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा, हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. कॉर्पोरेशन बैंक शाखा हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. एस०बी०बी०जे० शाखा नौरगदेसर, जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. भारतीय स्टेट बैंक (कृषि विकास) शाखा हनुमानगढ़ टाऊन, जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

---रेस्पो० / प्रतिवादीगण

अपील विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 23.01.2017 व निर्णय
दिनांक 08.05.2017 एवं अंतिम विभाजन डिक्री दिनांक 10.05.2017 न्यायालय
सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ राजस्व वाद संख्या 286 / 2016

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचंद वर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट, श्री राजेन्द्र भुवाल अधिवक्ता रेस्पो० सं० 1, श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो० सं. 2 की

उपस्थिति मे हुक्म हुआ है कि मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है कि पूनमदेवी पत्नि लक्ष्मणकुमार, अंकिता पुत्री लक्ष्मणकुमार, दीपक पुत्र लक्ष्मणकुमार को चक 15 एनडीआर-बी के प.न. 148/342 मु.न. 22 कि.न. 1,2/0.506, 3/0.169, 4/0.169, 5/0.127, 10/0.031, 11/0.031 कुल 1.033 है0, चक 17 एनडीआर के प.न. 144/344 मु.न. 4 कि.न. 11/1/0.101, 12/1/0.101, 13/1/0.101, 18/0.127, 19/0.150, 20/0.149 कुल 0.729 है0, चक 14 एमडी के प.न. 137/331 मु.न. 31 कि.न. 11/0.253, 12/0.084, 17 ता 20/1.012 है0 कुल 1.349 है0 कुल तादादी 3.111 है0 रकबे खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी रायसिंह पुत्र अमरचंद को चक 15 एनडीआर-बी के प.न. 148/342 मु. न. 22 कि.न. 6/0.169, 7/0.169, 8/0.169, 11/0.200, 12/0.200, 13/0.127 कुल 1.034 है0, चक 17 एनडीआर के प.न. 144/344 मु.न. 4 कि.न. 21/0.100, 22/0.101, 23/0.086,, प.न. 144/345 मु.न. 11 कि.न. 1/3/0.144, 2/0.169, 3/0.130 कुल 0.730 है0, चक 18 एनडीआर के प.न. 141/340 मु.न. 48 कि.न. 4, 5/0.506, 6/0.181 कुल 0.687 है0, चक 14 एमडी के प.न. 137/331 मु.न. 31 कि. न. 13, 14/ 0.506, 12/0.169 है0 कुल 0.675 है0 कुल तादादी 3.126 है0 रकबा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी भूपसिंह पुत्र अमरचंद को चक 15 एनडीआर-बी के प.न. 148/342 मु.न. 22 कि.न. 3/0.084, 4/0.084, 5/0.063, 6/0.084, 7/0.084, 8/0.084, 11/0.222, 12/0.222, 19/0.053, 20/0.053, कुल 1.033 है0, चक 17 एनडीआर के प.न. 144/344 मु.न. 4 कि.न. 18/0.088, 19/0.103, 20/0.104, 21/0.153, 22/0.152, 23/0.129 कुल 0.729 है0, चक 18 एनडीआर के प.न. 141/340 मु.न. 48 कि.न. 6/0.072, 7/0.253, 14 से 16/0.759, 17/1 मे 0.063, 25/2/0.228 कुल 1.375 है0 कुल तादादी 3.138 है0 रकबा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार ही खाते अलग अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 10.08.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ